घर-घर औषधि योजना

राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, राज. जयपुर

क्रमांकः एफ.14( )कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/व.आ./मिटिगेटिव मेजर्स/2022–23/ 3294 दिनांक 20/5/22

बजट आवंटन आदेश– 7

वर्ष 2022–23 की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के मद संख्या –11 **Mitigative Measures (Forest Clearance of NH-76 Kota- Chittorgarh) : Spill-over Activity {for Advance Action (560 Ha.) of the Year 2021-22}** के अनुसार आवंटित कार्यो को पूर्ण कराने हेतु अधिनस्थ वन मण्डल को IFMS के माध्यम से निम्नानुसार बजट मद में बजट आवंटन किया जाकर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

2406-04-103-04-01-12
2406- Forest & wildlife
04- Afforestation and Ecology Development
103- State Compensatory Afforestation (SCA)
(04)- Net Present Value of Forest Land
(01)- Compensatory Afforestation
12 - Grant in Aid (Other than Salary)

Amount in lacs

S.NO.	Name of Division	APO Item	Activity	Phy. Targets/ Ha./ No./ RMT	Allotted Amount
1	उप वन संरक्षक, कोटा	APO Item no. 11 : Mitigative Measures (Forest Clearance of NH-76 Kota- Chittorgarh) :	Spill-over Activity for Advance Action (560 Ha.) of the Year 2021-22}	LS	146.41000
	योग				146.41000

सामान्य शर्तेः

1. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.14( )ए.पी.ओ./2022–23/कैम्पा/अप्रमुवसं/2915–27 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित शर्तों की अनुपालना किया जाना, सुनिश्चित हो।
2. कार्य स्थल का चयन मिटिगेटिव मैजर्स में अधिरोपित शर्तो के अनुसार पर ही किया जावे एवं स्थल चयन के उपरांत उनके नाम एवं अक्षांश एवं देशान्तर संख्या भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
3. आवंटित बजट का व्यय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मिटिगेटिव मैजर्स कार्यों पर किया जावें।
4. आवंटित बजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।
5. उक्त आवंटन के विरूद्ध यदि किसी राशि का उपयोग संभव नहीं हो तो राशि यथा समय पर इस कार्यालय को मय औचित्य समर्पित कर दी जावे।
6. उक्त आवंटित बजट की राशि का आहरण केवल तभी किया जाये जब स्वीकृत कार्य से संबंधित व्यय का भुगतान किया जाना हो क्योंकि स्टेट कैम्पा का अकाउन्ट ब्याज वियरिंग है।
7. राशि जिस उद्देश्य/कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी उद्देश्य/कार्य के लिये नियमानुसार व्यय की जावें तथा इसमें से प्रशासनिक व्यय नहीं किया जावें।
8. नये पक्के निर्माण कार्य मुख्य वन संरक्षक, से कार्यालय के अनुमोदन उपरान्त ही करावें।
9. कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे। समस्त कार्यो के लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMPA एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप कैम्पा का लेखा कार्पोरेट अकाउटिंग के आधार पर सीएजी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संधारित करें। लेखों के आडिट महालेखाकार द्वारा की जावेगी।
10. उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
11. संबंधित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेखे संकलित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अधोहस्ताक्षर कर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संधारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।
12. बजट उपयोग के संबंध में समय–समय पर इस कार्यालय द्वारा प्रसारित समस्त निर्देशों की पालना की जावे।

Scanned with CamScanner

13 विकास कार्य केवल उन्हीं पंचायत समितियों में संपादित किये जावें जहां अन्य योजनाओं के इसी प्रकार के कार्य प्रस्तावित नही हो, जिससे योजनाओं में परस्पर Overlapping से बचा जा सकें।

14 कैम्पा मद में सामग्री क्रय की कार्यवाही राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व नियम, 2013 के तहत की जावेगी तथा क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज विभागीय स्टोर पंजिका में किया जावे एवम् विभाग की प्रचलित पद्धति अनुसार लेखा–जोखा रखा जावेगा।

15 नये कार्य स्थलों की सूची मय GPS Coordinates के ई–ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड करना तथा सूचना भिजवाना सुनिश्चित किया जावे।

16 इन्टर प्रिटेशन सेन्टर का निमाण मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयुपर, भारतीय वन्य जीव संस्थान के निर्देशों के क्रम में कराया जावे।

17 इस परियोजना अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु साइट स्पेसिफिक तकमीना तैयार कर पौधारोपण कार्य कराया जाए।

18 जिन वन विकास कार्यों में वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पुर्वानुमति आवश्यक है उन कार्यों को नियमानुसार पुर्वानुमति प्राप्त कर कार्य प्रारंभ करें।

Shikha

(शिखा मेहरा)
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ.14( )कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/ब.आ./मिटिगेटिव मेजर्स/2022–23/ दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।

2 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) राजस्थान, जयपुर।

3 मुख्य वन संरक्षक – कोटा को प्रेषित कर लेख है कि समय–संमय पर कैम्पा के कार्यो का निरीक्षण करें एवं राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की जा रही है उसी कार्य पर व्यय किया जाना तथा वांछित रिकार्ड पूर्ण करवाना भी सुनिश्चत करवायें

4 उप वन संरक्षक, कोटा।

5 सहा. सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय हाजा (CAMPA) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने हेतु।

6 सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।

7 लेखा शाखा कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली।

(आकांक्षा जोशी)
उप वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।

Scanned with CamScanner